

अधीकारक कलक्टर एवं उपखण्ड अधीकारी संगरिया

अधीकारी- जय कौशिक आर.ए.एस.

संख्या- 468/2024

अन्तर्गत धारा संख्या-53 आरटीए

अली पुत्र हासम अली जाति राठ निवासी ढालीया

वादी

बनाम

अली पुत्र शाहसवार जाति राठ निवासी ढालीया

अली खान पुत्र शाहसवार जाति राठ निवासी ढालीया

अली खान पुत्र शाहसवार जाति राठ निवासी ढालीया

अली पुत्र कासम अली जाति राठ निवासी ढालीया

अली सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति तरखान निवासी सतीपुरा

अली कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति छिम्पा निवासी हनुमानगढ़ जं.

अली कौर पत्नी मिहासिंह जाति जटसिख निवासी मलकीत सिंह कॉलोनी हनुमानगढ़ जं.

अली विशनोई पुत्र वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ़ जं.

अलीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता :-

अधीकारक स्वामी अधिवक्ता - वादी

अधीकारक कन्हैयालाल स्वामी अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या 1 ता 5,7,8

अधीकारक जसवीर सिंह अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या 6

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अनुसृत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार

अनुसृति संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादीगण

अधीकारक प्रतिवादीगण संयुक्त खाता चक नं. 19 एफटीपी खाता सं. 74/1 के खातेदार काश्तकार हैं।

अधीकारक कुल खाता 13.276 है. में से वादी 612/3319 हिस्सा यानि 2.448 है. का खातेदार काश्तकार

अधीकारक कुल जमाबंदी चक नं. 19 एफटीपी खाता सं. 74/1 हमराह दावा प्रस्तुत है। वादीगण एवं

अधीकारक वादीगण का आपस में अरसा दराज पूर्व धरुतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक धरुबंटवारा

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

अधीकारक कलक्टर एवं उपखण्ड अधीकारी संगरिया

खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने के मुस्तहक एव दावेदार है। एवं प्रतिवादीगण का आपस में सीव बट व रकम राज का सदैव ही झगडा बना रहता है। इस वादी अब अपना खाता सांझा नहीं रखना चाहते हैं। अतः कब्जा काश्त के मुताबिक वाद पत्र चरण सं. 3 के अनुसार खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवाने के दावेदार एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि मुताबिक घरुबटवारा के हिस्सा कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि का खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा किंतु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एव अंत में पिछले सप्ताह ऐसा करने से इनकार कर दिया। बस यही विनाय दावा है। वादी ने घरु बटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि पर काफी मेहनत कर व रूपए खर्च कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त नया बनाया है अब यदि घरुबटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता तकसीम नहीं किया गया वादी कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 8 को संयुक्त खाता में खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण व प्रतिवादी नं. 9 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। इनसे किसी प्रकार का डापरेंट मुताबिक नहीं चाहा गया है। दावा बाबत खाता तकसीम का है जो दो रूपए के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। जो कि काबिल समायत अदालत वाला है व अंदर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिकी फरमाया जाउं कि वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने के आदेश फरमावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिग्देदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने की सहमति दी। काउन्टर क्लेम पर कोई आपति नहीं होने पर वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी बरकत अली ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण और कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नम्बर के साथ चक्र 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 खाता अलीशेर वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 की प्रमाणित जमाबन्दी एवं इसी चक्र के खाता संख्या 85/79 जमाबन्दी सम्वत 2065-2068 की फोटोपति पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

कलक्टर एवं  
जम्बूड अधिकारी  
सम्भारिया

बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दाहरते  
 कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 सह-काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी  
 1 ता 8 घरू बंटवारा में अक्की मंदा के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम  
 खाता विभाजन कर रहे है। वाद पत्र का कोई विरोध नहीं है। अतः वादी का वाद पत्र  
 अनुतोष डिक्री किया जाकर पक्षकारों का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग-कायम कर  
 अलग कायम करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के अधिवक्ता ने जवाब  
 काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति दौरान बहस दी।  
 बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात का अवलोकन किया गया।

19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 खाता अली शेर वगैरा सम्वत 2073-2076 में वादी व  
 प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम कुल 13.276 है। मय गैरमुमकिन भूमि संयुक्त खाता में अलग अलग  
 हिस्सानुसार दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी में सह-खातेदार है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं  
 प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी  
 काश्तकार है। वादी/प्रतिवादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता  
 8 वाद पत्र में प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार डिक्री किये जाने हेतु अपनी  
 सहमति व्यक्त किये जाने के कारण वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का काउन्टर क्लेम  
 डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**क्रियात्मक आदेश**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का काउन्टर  
 क्लेम रिकार्ड किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :-  
 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार वादी बरकत अली के हक व हिस्से की  
 कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/246	40	1/1/0.228, 1/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 2/1/0.163, 2/2/0.018 है. गै.मु. रास्ता, 9/0.182, 10,11/0.506 है., 12/0.181 है. 19/0.182 है. 20,21/0.506 है. 22/0.181 है.
157/247	45	1/0.089 है. 2/0.157 है. कुल 2.418 है. नहरी गै.मु.

19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अलीशेर, फारूख  
 खान, शमशेर खान पि. शाहसवार बहिव के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/246	40	3/0.064, 3/2/0.008, 4/1/0.228, 4/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 5/0.202, 5/2/0.025 गै.मु. खाला, 5/3/0.026 गै.मु. रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला, 7/0.253., 8/0.071, 13/0.072, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु. खाला, 17/0.253, 18/0.071, 24/0.1305, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. खाला
157/247	45	5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला, 15/1/0.063, 15/2/0.006 गै.मु. रास्ता कुल 3.2685 है. नहरी मय गै.मु.

महानगर कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मगरिया

चक 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 4 शाहअली पुत्र कायम अली के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/246	40	23/0.072, 24/0.1225
157/247	45	7/0.215, 4/0.253, 3/0.076 कुल 0.7385 है नहरी

चक 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 5 जगसीर सिंह पुत्र भूरासिह जाति तरखान नि.सतीपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/245	19	6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला, 7 ता 14/2024 है 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला कुल 2530 है नहरी मय गै.मु.

चक 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 6 परमजीतकार पत्नी जगसीर सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/245	19	16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु. खाला, 17 ता 24/253 है प्र 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है. गै.मु. खाला कुल 2530 है. नहरी

चक 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 7 जोगेन्द्र कौर 0.847 है प्रतिवादी संख्या 8 बलदेव बिश्नोई 0.742 है. के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/246	40	2/1/0.065, 2/2/0.007 है. गै.मु. रास्ता, 3/1/0.164, 3/2/0.017 है. गै.मु. रास्ता 8/0.182, 9/0.071, 12/0.072, 13/0.181 है. 18/0.182, 19/0.071 है. 22/0.072, 23/0.181 है.
157/247	45	2/0.058, 3/0.177 है. 8/0.089 है. इस प्रकार कुल 1.589 है. नहरी मय गै.मु.

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का उक्तनुसार खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पता डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।  
 निज..........मुद्लिक..........वाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद ता शरह को अदा करे।  
 फौसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक..........को अदा करे।  
 वसवत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.10.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
 सहायक काश्तकार एवं  
 राजस्व अधिकारी  
 मगरिया

डिक्री बमुकदमे ईब्बदाई  
 अ आदेश 20 नियम 6 7 त्याप्रकिया सहित  
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाारी समारिया  
 वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए  
 प्रकरण संख्या 468 2024

1 बरकत अली पुत्र हासम अली जाति रात निवासी ढालीया

वादी

बनाम

1. अलीशेर पुत्र शाहसवार जाति रात निवासी ढालीया
2. फारुख खान पुत्र शाहसवार जाति रात निवासी ढालीया
3. शमशेर खान पुत्र शाहसवार जाति रात निवासी ढालीया
4. शाहजलील पुत्र कासम अली जाति रात निवासी ढालीया
5. जमशेर सिंह पुत्र मूसा सिंह जाति तरखान निवासी रातीपूर
6. परमजीत कौर पत्नी जमशेर सिंह जाति छिम्पा निवासी हनुमानगढ़ ज
7. जोगेन्द्र कौर पत्नी मिहारासिंह जाति जलराख निवासी मलकीत सिह कोलीगी हनुमानगढ़ ज
8. बलदेव बिश्नोई पुत्र जेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ़ ज
9. तहसीलदार राजस्व समारिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाारी समारिया के समक्ष वास्ते इन्फिरसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी नकील वादी गिन जागिन मुदई श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 7,8 व श्री जमशेर सिंह प्रतिवादी संख्या 6 गिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है.

1. चक 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 मे काश्तकार वादी बरकत अली के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

पुन	मुन	किला नम्बर
157/246	40	1/1/0.228, 1/2/0.025 है. गै मु रास्ता, 2/1/0.163, 2/2/0.018 है. गै मु रास्ता, 9/0.182, 10,11/0.506 है. 12/0.181 है. 19/0.182 है. 20,21/0.506 है. 22/0.181 है.

2. चक 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 मे काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अलीशेर, फारुख खान, शमशेर खान पि शाहसवार बहिब के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

पुन	मुन	किला नम्बर
157/246	40	3/0.064, 3/2/0.008, 4/1/0.228, 4/2/0.025 है. गै मु रास्ता, 5/0.202, 5/2/0.025 गै मु खाला, 5/3/0.026 गै मु रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै मु खाला, 7/0.253, 8/0.071, 13/0.072

महायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकाारी  
 समारिया

		14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला 16, 1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु.खाला, 17/0.253, 18/0.071, 24/0.1305, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. खाला
157/247	45	5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. खाला 6, 1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला, 15/1/0.063, 15/2/0.006 गै.मु. रास्ता कुल 3.2685 है नहरी मय गै.मु.

चक्र 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 4 शाहअली पुत्र कासम हली के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/246	40	23/0.072, 24/0.1225
157/247	45	7/0.215, 4/0.253, 3/0.076 कुल 0.7385 है नहरी

चक्र 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 5 जगसीर सिंह पुत्र मुरासिह जाति तरखान नि.सतीपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/245	19	6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला, 7 ता 14/2024 है 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला कुल 2.530 है नहरी मय गै.मु.

चक्र 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 6 परमजीतकौर पत्नी जगसीर सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/245	19	16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु. खाला, 17 ता 24/253 है प्र 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है. गै.मु. खाला कुल 2.530 है नहरी

चक्र 19 एफटीपी खाता संख्या 74/1 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 7 जोगेन्द्र कौर 0.847 है एवं प्रतिवादी संख्या 8 बलदेव बिश्नोई 0.742 है. के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
157/246	40	2/1/0.065, 2/2/0.007 है. गै.मु. रास्ता, 3/1/0.164, 3/2/0.017 है. गै.मु. रास्ता 8/0.182, 9/0.071, 12/0.072, 13/0.181 है. 18/0.182, 19/0.071 है. 22/0.072, 23/0.181 है.
157/247	45	2/0.058, 3/0.177 है. 8/0.089 है. इस प्रकार कुल 1.589 है. नहरी मय गै.मु.

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का उक्तनुसार खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। स्वतः पक्षकारान अपना अपना बहन करेंगे।

निज  नल  मुद्विक  निल  बाबत  गिल  खती मुकदमे के

मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक  अदा करे।

वसूत मेरे दरस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.10.2024 को जारी किया गया।

( जय कौशिक )  
 सहायक कसकर एवं  
 उपसहायक जिला संगरिया  
 संगरिया